निर्णय बइजलासा श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 85 / 2025
दायरा दिनांक:—10.09.2025
निर्णय दिनांक:— 4.11.25

उनवान

1. इन्द्र उर्फ अमृत बाई आयु 44 वर्ष पुत्री छुआरी पत्नि लखन लाल जाति हरिजन निवासी ग्राम पचपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. गुलाब उर्फ जमनादेवी आयु 84 वर्ष पत्नि स्व. बंशीलाल जाति हरिजन निवासी ग्राम पचपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. गीता उर्फ ममता पवार आयु 38 वर्ष पुत्री छुआरी पत्नि रणजीत पवार जाति हरिजन निवासी ग्राम पचपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांक:— 4.11.25

अभिभाषक उपस्थित:—1. श्री जालमसिंह कश्यप — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136, एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीयागण व अन्य सहखातेदार के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वाके ग्राम पचपाड़ा, तहसील छबडा के वर्तमान खाता संख्या 63 में भूमि खसरा संख्या 352/2 रकबा 1.0116 हैक्टेयर, खसरा नं. 64 रकबा 0.4299 हैक्टेयर कुल 02 किता कुल रकबा 1.4415 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीयागण का हिस्सा 3/4 है। जो प्रार्थीयागण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी चली आ रही है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीयागण उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत् कई वर्षों से काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी में सहवन से प्रार्थीया क्र. 1 का नाम इन्द्रा पुत्री छुआरी व प्रार्थीया क्र. 2 का नाम गुलाब पत्नी स्व छुआरी एवं प्रार्थीया क्र. ३ का नाम गीता पुत्री छुआरी दर्ज हो गये है। जो गलत दर्ज हो गये है। जबकि प्रार्थीया क्र.1 का अपने दस्तावेजो के आधार पर वास्तविक नाम अमृत बाई पुत्री छुआरी पत्नी लखन लाल है। व प्रार्थीया क्र. 2 का अपने दस्तावेजो के आधार पर वास्तविक नाम जमनादेवी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पत्नी स्वय बंशीलाल है। एवं प्रार्थीया क्र. 3 का अपने दस्तावेजो के आधार पर वास्तविक नाम ममता पवार पुत्री छुआरी पत्नी रणजीत पवार है। जिन्हे दुरूस्तीकरण कर प्रार्थीया क्र. 1 इन्द्रा पुत्री छुआरी के स्थान पर इन्द्रा उर्फ अमृत बाई पुत्री छुआरी पत्नी लखन लाल व प्रार्थीया क्र. 2 गुलाब पत्नी स्व. छुआरी के स्थान पर गुलाब उर्फ जमनादेवी पत्नी स्व. बंशीलाल एवं प्रार्थीया क्र. 3 गीता पुत्री छुआरी के स्थान पर गीता उर्फ ममता पवार पुत्री छुआरी पत्नी रणजीत पवार किया जाना अतिआवश्यक है, जो अत्यन्त न्यायोचित भी है। सभी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि मे प्रार्थीया क्र. 1 का नाम अमृत बाई पत्नी लखन लाल दर्ज है। व प्रार्थीया क्र. 2 का नाम जमनादेवी पत्नी बंशीलाल दर्ज है। एवं प्रार्थीया क्र. 3 का नाम ममता पवार पत्नी रणजीत पवार दर्ज है। तथा प्रार्थीया क्र. 2 गुलाब उर्फ जमनादेवी के पूर्व पति छुआरी की मृत्यु होने के बाद दुसरे पति बंशीलाल से नाता विवाह कर लिया था। बंशीलाल की भी मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत नाम प्रार्थीया क्र. 1 का इन्द्रा पुत्री छुआरी व प्रार्थीया क्र. 2 का गुलाब पत्नी स्व. छुआरी एवं प्रार्थीया क्र. 3 का गीता पुत्री छुआरी दर्ज होने से उन्हें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ से वंचित होना पड रहा है। तथा के.सी.सी. व के.वाई. सी. कराने में परेशानी हो रही है। प्रार्थीयागण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अपने हिस्से की भूमि पर किसान क्रेडिड कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवेल लगवाकर, तारफैसिग, कर भूमि समतल करवाकर प्रगतिशील काश्त करना चाहती है, परन्तु जो प्रार्थीयागण के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्तीकरण बिना संभव नहीं है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से जवाब/ रिपोर्ट प्राप्त जो शा. मि. है। प्रार्थीयागण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पचपाडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 63 नकल जमाबन्दी ग्राम बरपाडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 33 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड, की प्रति पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीयागण सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम पचपाडा तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थीयागण का 3/4 हिस्सा है जो प्रार्थीयागण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। प्रार्थीयागण का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से इन्द्र पुत्री छुआरी, गुलाब पत्नि छुआरी, गीता पुत्री छुआरी दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीयागण का वास्तविक नाम अमृत बाई, जमनादेवी ममता है प्रार्थीयागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीयागण के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र राशन कार्ड बैक पास बुक, जन आधार कार्ड, में सही नाम अमृत बाई, जमनादेवी, ममता, दर्ज है गुलाब उर्फ जमना देवी के पूर्व पति छुआरी की मृत्यु होने के बाद दुसरे पति बंशीलाल से नाता विवाह कर लिया था। प्रार्थीयागण का राजस्व रिकार्ड मं नाम गलत दजर्ज होने के कारण केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ से वंछित होना पड रहा है प्रार्थीयागण के नाम ग्राम बरपाडा में खाता संख्या 33 में हिस्सा 1/4 – 1/4 भूमि और है जिसमें प्रार्थीयागण का सही नाम अमृत बाई उर्फ इन्द्रा, ममता बाई, उर्फ गीता दर्ज है प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि माजमें आम छबडा में उपस्थित होकर आवेदन में दर्ज नामों की जानकारी प्राप्त की गई आवेदन में दर्ज इन्द्रा उर्फ अमृत बाई के नाम के बारे में उपस्थित मौतवीरान से जानकारी प्राप्त की गई मौके पर उपस्थित मौतवीरान ने बताया कि इन्द्रा व अमृत बाई एक ही महिला के नाम है इसे ग्राम पचपाडा व छबडा में दोनो ही नामों से पुकारा जाता है। इन्द्रा व अमृत बाई एक ही महिला के दो नाम है गुलाब उर्फ जमनादेवी के नाम के बारे में उपस्थित मौतवीरान से जानकारी प्राप्त की तो पाया गया कि गुलाब व जमनादेवी दोनो ही अलग – अलग महिलाओं के नाम है। गुलाब की शादी बंशीलाल से की गई थी बंशीला की पूर्व पत्नि जमनादेवी थी जिसे पेंशन मिलती थी जमनोदवी की मृत्यु पश्चात् उक्त पेंशन गुलाब ने जमनादेवी बन कर उठाई है गुलाब व जमनादेवी दोनो नाम अलग – अलग महिला के है गीता उर्फ ममता के नाम के बारे में मौतवीरान से जानकारी प्राप्त की गई। उपस्थित मौतवीरान के बताया कि गीता व ममता एक ही महिला के दो नाम है गीता उर्फ ममता को घर परिवार के लोग दोनो ही नामों से पुकारतें थें। गीता व ममता एक ही महिला के दो नाम है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीयागण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पचपाडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 63 में इन्द्रा पुत्री छुआरी, गुलाब पत्नि छुआरी, गीता पुत्री छुआरी हिस्सा 1/4 – 1/4 दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम बरपाडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 33 में अमृत बाई उर्फ इन्द्रा पुत्री छुआरी, गुलाब पत्नि स्व. दुबारी ममता बाई उर्फ गीता पुत्री दुबारी हिस्सा 1/4 – 1/4 दर्ज है प्रार्थीयागण के अन्य दस्तावेजात में अमृत बाई, जमनादेवी उर्फ गुलाब, ममता बाई दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्जावेजो से यह साबित नही हो पाया है कि इन्द्रा एवं अमृत बाई, गीता उर्फ ममता बाई, गुलाब उर्फ जमना देवी एक ही महिला है तहसीलदार रिपोर्ट में भी अलग–अलग अंकित किये गये है। चूंकि एल0आर0एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकरण में राजस्व रिकार्ड में कोई त्रृटि हुई हो ऐसा साबित नही हो पाया है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा